

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 131/19

निर्णय दिनांक: 23-12-2019

(आरसीएमएस संख्या 2016/00258)

1. धनश्याम पुत्र मोहनलाल जाति शर्मा निवासी नोखा हाल आदर्श कॉलोनी  
जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 07-03-1992  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:-

1. सुश्री रोशन आरा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 07-03-1992 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 07-03-1992 को भूमिहीन के तौर पर पात्र मानते हुए चक 02 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 19/46 के किला नम्बर 8 ता 14 में 7 बीघा व किला नम्बर 16 ता 25 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई तथा वादगत पट्टा पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। जबकि अपीलांट को आवंटित भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट को उक्त

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 के विरुद्ध अपील दिनांक 16-08-19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 16-08-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 02 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 19/46 के किला नम्बर 8 ता 14 में 7 बीघा व किला नम्बर 16 ता 25 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 18 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(2) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित रकबा अनिवार्य वन-पट्टी हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि अदालत मातहत को उक्त आवंटन से पूर्व यह देखा जाना चाहिए था कि उक्त आराजी पूर्व में अन्य को आवंटितशुदा भूमि है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन अन्य को आवंटित कर दी गई।

(3) जहाँ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जाँच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जाँच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) प्रकरण में अपीलांट को आवंटित भूमि को आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को पूर्व में ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।



राजस्थान हाइकोर्ट  
बीकानेर

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार-बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।



(6) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है जोकि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि थी। उक्त तथ्य तहसीलदार, कोलायत द्वारा जारी जमाबन्दी से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है कि वादगत् भूमि वर्तमान में वन विभाग को आवंटित होने व मौके पर उनका कब्जा काश्त होकर रिकार्ड में दर्ज है। लिहाजा उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 07-03-1992 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23-12-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(समरतन सौकरिया)  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

